

(162)

मध्य प्रदेश शासन :  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
वत्सल भवन, भोपाल-462004

क्रमांक : एफ 1-10/2005/20-1

भोपाल, दिनांक 21. 10. 2005

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म. प्र.
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म. प्र.
3. समस्त आयुक्त, न. र निगाह, म. प्र.
4. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म. प्र.

विषय: - शिक्षाकर्मियों को यात्रा-भत्ता दिये जाने के संबंध में ।


—00—

राज्य शासन द्वारा शिक्षाकर्मियों को भ्रम पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षाकर्मियों को शैक्षणिक गतिविधियों तथा अन्य प्रशासकीय प्रयोजन के लिये की गई यात्राओं के लिये यात्रा-भत्ता की सुविधा दी जाये । यात्रा भत्ता स्वीकृत करने के लिये निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी: -

1. यदि प्रशिक्षण पर भेजा जाए तो उनकी यात्रा करने का भ्रगतान प्रशिक्षण मद से किया जाए ।
2. प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यक्रम विशेष के कारण यात्रा करने की दशा में संबंधित कार्यक्रम मद से यात्रा भत्ता की सुविधा दी जाए ।
3. अन्य कार्यों के लिये स्थानीय निधि/आकस्मिक निधि से वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षाकर्मी की यात्रा अति आवश्यक होने पर ही उन्हें दूरे पर भेजा जाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
§ मुखपलता सिंह §

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पू. क्रमांक: एफ 1-10/2005/20-1

भोपाल, दिनांक 21. 10. 2005

प्रतिलिपि: -

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, म. प्र. भोपाल
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, म. प्र. भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग भोपाल
5. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल
7. आयुक्त, लोक शिक्षण, म. प्र. भोपाल
8. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म. प्र. भोपाल
9. आयुक्त, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, म. प्र. भोपाल
10. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म. प्र. भोपाल
11. समस्त सभागायुक्त, म. प्र.
12. संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, म. प्र. भोपाल
13. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म. प्र. भोपाल
14. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म. प्र.
15. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/समस्त जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, म. प्र.
16. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म. प्र.

को ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

*[Handwritten Signature]*

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग